25

संख्या /2015/01/IX/2013टी0सी0

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण
जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय– चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी के हैलीपोर्ट के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी में हैलीपोर्ट निर्माण हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन रू0 4087.84 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल रू0 3876.78 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में शासनादेश संख्या–85/IX/2013 दिनांक 29.03.2013 द्वारा रू0 1950.665, वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश संख्या–61/IX/2014 दिनांक 26.03.2014 द्वारा रू0 1201.97 लाख, तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासनादेश संख्या–62/2015/01/IX/2013/टी0सी0–1 दिनांक 27 मार्च, 2015 इस प्रकार कुल धनराशि रू0 3427,685 लाख (रू0 चौतीस करोड सत्ताईस लाख बावन लाख अडसठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि स्वीकृति दी जा चुकी है।

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–303/लेखा/बजट/प्लान/2014–15 दिनांक 16 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन रू0 4677.95 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 3205.52 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों से आच्छादित कार्यो हेतु रू0 1412.74 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 4618.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या–62/2015/01/IX/2013 टी0सी0–1 दिनांक 27 मार्च, 2015 में स्वीकृत धनराशि रू0 275.05 लाख (रू0 दो करोड़ पिचहत्तर लाख पांच हजार मात्र) के स्थान पर आई0डी0 संख्या–एस01503240738 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा रू0 275.50 लाख की धनराशि दर्शायी गयी है। इस प्रकार रू0 0.45 हजार की अतिरिक्त धनराशि को इस वित्तीय स्वीकृति में सम्मलिति कर दिया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा पुनरीक्षित आंगणनों के सापेक्ष आंकलित धनराशि रू0 4618.26 लाख के आधार पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 3427.685 लाख को घटा कर अवशेष धनराशि रू0 1190.575 लाख के सापेक्ष रू0 605.98 लाख (रू0 छः करोड़ पांच लाख अठ्ान्नबे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1— मितव्ययी मदों मे आवटित सीमा तक की व्यय सीमित रखा जाय, उत्तराखण्ड -अधिप्राप्ति नियमावाली 2008 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेशों/नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवटंन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैन्युअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशो के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2— उक्त धनराशि का आहरण कर रेखांकित चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगी।

3— आगंणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें सिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4— एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगंणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

5— स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण 31 मार्च, 2015 से पूर्व प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। निदेशक नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा राजकोष से आहरित कर यूकाडा के खाते में जमा करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था के मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7— निर्माण सामाग्री कय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोन प्रचेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

8— कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 05 अप्रैल, 2004 का अनुपालन किया जायेगा।

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—24 के लेखाशीर्षक—5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय—02—विमान पत्तन—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—04—हवाई पट्टी का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य—24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या—1025/XXVII(2)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 77 (1)/01/ IX/2013 टी0ए0सी तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित की प्रस्तर–7 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड़ फाईल।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह तिलाडा)
उप सचिव।